2023 विधेयक संख्यांक 101

[दि माइन्स एंड मिनीरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— 1957 का 67

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ककक) "खोज अनुज्ञप्ति" से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं या दोनों को करने के लिए अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (कङ) में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (जक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(जक) "भूमीक्षण संक्रियाएं" से ऐसी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो प्रादेशिक, आकाशी, भूभौतिकीय या भूरसायनिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक मानचित्र के माध्यम से किसी खनिज के प्रारंभिक पूर्वेक्षण के लिए की गई है और जिसके अंतर्गत गड्ढा बनाना, खाई खोदना, नरमाना और उपसतह उत्खनन शामिल है;'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4क में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की समाप्ति" ;

(ii) उपधारा (1) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों को दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"खनिज रियायत को प्रदान करने पर निर्बन्धन" ।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात :—

"अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनिज रियायत अनुदत्त की जा सकेगी" ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कख) पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक के कुल क्षेत्र में

आने वाली एक या एक से अधिक खोज अनुज्ञप्तियां:

परन्तु एक खोज अनुज्ञप्ति के अधीन प्रदान किया गया क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं होगा ।";

(ii) खंड (ग) में, "भूमीक्षण अनुज्ञापत्र खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर "खनिज रियायत" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3 के अध्याय शीर्ष का रखा जाना ।

7. मूल अधिनियम के अध्याय 3 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उस भूमि के बारे में जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, खनिज रियायत अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया"।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"खनिज रियायत के लिए आवेदन";

(ii) उपधारा (4) के खंड (क) में "उसका धारा 10ख, धारा 11 या धारा 11क या धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "उसका धारा 10ख, धारा 10खक, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख या धारा 11घ के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 10खक का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 10ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:---

नीलामी के माध्यम से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खोज अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना ।

"10खक. (1) इस अधिनियम के उपबंध—

(क) धारा 17क के अधीन आने वाले क्षेत्रों ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किए गए खनिज जहां परमाणु खनिजों की श्रेणी समान है या ऐसे सीमा मुल्य से अधिक है जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(घ) ऐसी भूमि जिससे संबंधित खनिज सरकार में निहित नहीं हैं,

पर लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 10ख और धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा खोज अनुज्ञप्ति सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं को करने के प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में प्रदान की जा सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और कारणों को अभिलिखित करते हुए, सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों को ऐसी तारीख से संशोधित कर सकेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उन क्षेत्रों को

अधिसूचित कर सकेगी जिनमें, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, खोज अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाए खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए क्षेत्र को अधिसूचित करने की अपेक्षा राज्य सरकार से कर सकेगी और ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार ऐसी अवधि के भीतर क्षेत्र अधिसूचित नहीं करती है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसान के पश्चात् खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।

(6) राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी बोली लगाने जिसमें ई-नीलामी शामिल है की रीति द्वारा नीलामी के माध्यम से खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एक आवेदक नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा करता है और ऐसे आवेदक को खोज अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी ।

(7) जहां—

(क) राज्य सरकार ने खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए नीलामी सफलतापूर्वक पूरी नहीं की है ; या

(ख) नीलामी के पूर्ण हो जाने के पश्चात् खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए खोज अनुज्ञप्ति या आशय पत्र किसी कारण से वह जो भी हो, समाप्त या व्यपगत कर दिया है ;

तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाए यथास्थिति, नीलामी या पुन:नीलामी प्रक्रिया को संचालित या पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामले में जहां ऐसी नीलामी या पुन:नीलामी प्रक्रिया ऐसी अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी कर सकेगी:

परन्तु नीलामी के सफलतापूर्वक पुरा होने पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को नीलामी में अधिमानित बोली के ब्यौरों की सूचना देगी और राज्य सरकार ऐसी अधिमानित बोली लगाने वाले को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी ।

(8) खोज अनुज्ञप्ति का धारक, ऐसी खोज अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा किए गए पूर्वेक्षण संक्रियाओं के अनुसरण में खान पट्टे में प्रदान किए गए क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार को पट्टे धारक द्वारा संदेय खान पट्टों की नीलामी में कोट की गई लागू रकम की हिस्सेदारी का हकदार होगा ।

परन्तु ऐसे क्षेत्र के पट्टेदार द्वारा खोज अनुज्ञप्ति के धारक को संदेय लागू रकम में हिस्सेदारी केवल सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई खानों के संबंध में अनुदत्त होगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा खान अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए

नीलामी संचलित करने की रीति का उपबंध करेगी जिसमें इसकी निबंधनों और शर्तें, चयन के लिए बोली लगाने के मापदंड, ऐसे क्षेत्र के पट्टेदार द्वारा संदेय खान पट्टों की निमाली में कोट की गई लागू रकम में से खोज अनुज्ञप्ति के धारक को संदेय हिस्सेदारी, ऐसे संदाय के लिए अवधि और ऐसी अन्य शर्तें जो आवश्यक हो, शामिल होगी ।

(10) धारा 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खोज अनुज्ञप्ति, खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी ;

(ख) यदि खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् लेकिन इसके अवसान की तारीख से पहले खोज अनुज्ञप्ति का धारक उस अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार करने के लिए आवेदन करता है तो राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि पांच वर्ष की अवधि के भीतर उसके नियंत्रण से परे के कारणों से भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करना ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक के लिए संभव नहीं होगा, ऐसी उक्त अवधि का विस्तार अतिरिक्त अवधि के लिए कर सकेगी जो दो वर्ष से अधिक न हो ।

(11) खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसी अनुज्ञप्ति का धारक, ऐसे क्षेत्र को, जो भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं को जारी रखने के प्रयोजन के लिए उस अनुज्ञप्ति के लिए आने वाले कुल क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, प्रतिधारित कर सकेगा और शेष क्षेत्र को, उसके द्वारा प्रतिधारित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को प्रतिधारित करने के कारणों और उस क्षेत्र की सीमाओं को बताते हुए एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पश्चात्, अभ्यार्पित कर सकेगा ।

(12) खोज अनुज्ञप्ति का धारक उन संक्रियाओं को जिनके के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, पूरा करने के तीन महीने के भीतर या खोज अनुज्ञप्ति के अवसार की तारीख को इनमें से जो भी पहले हो, भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाएं के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य सरकार को एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(13) यदि खोज अनुज्ञप्ति का धारक खोज अनुज्ञप्ति के अवसान के पहले भूमीक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करने में असफल होता है या उपधारा (12) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होता है तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाही कर सकेगी जो ठीक समझे, जिसमें शास्ति अधिरोपित करना शामिल है ।

(14) खोज अनुज्ञप्ति धारक से भौगोलिक रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से छह महीने के भीतर, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहां खान अंश का अस्तित्व स्थापित है यथास्थिति धारा 10 ख या धारा 11 या धारा 11 घ के अधीन एक या अधिक पृथक खान पट्टों को प्रदान करने के लिए नीलामी

प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, और भौगोलिक रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से एक साल के भीतर ऐसे खान पट्टों के अनुदान के लिए अधिमानी बोलीदाता का चयन करेगी :

परन्तु जहां अधिमानी बोलीदाता को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर चयनित नहीं किया जाता है, वहां राज्य सरकार उस व्यक्ति को जो खोज अनुज्ञप्ति का धारक था । ऐसी रकम और ऐसी रीति से जो विहित की जाए भुगतान करेगी ।

नई धारा 11घ का अतःस्थापन ।

10. धारा 11 ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;—

केन्दीय सरकार पहली अनुसूची के धारा घ में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति को प्रादन करने के लिए नीलामी आयोजित करेगी ।

"11घ. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, केन्द्रीय सरकार पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में किसी क्षेत्र में खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति को देने के प्रयोजन के लिए ऐसा अधिमानी बोलीदाता जो ऐसे निबंधन और शर्तों तथा ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जा सके धारा 5 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता शर्तों को पूरा करता है उसे ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धा बोली की रीति द्वारा नीलामी माध्यम से चयन करेगी ।

(2) नीलामी के सफल होने पर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में अधिमानी बोलीदाता के ब्यौरे को सूचित करेगी और राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाए, ऐसी रीति में, ऐसे अधिमानी बोलीदाता को ऐसे क्षेत्र के लिए खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी ।

(3) रायल्टी, अनिवार्य भाटक, नीलामी में उद्धृत लागू रकम और केन्द्रीय सरकार द्वारा नीलाम किए गए खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई अन्य कानूनी संदाय यथास्थिति राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारियों को प्रोद्भूत किया जाएगा, मानो नीलामी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई हो ।

धारा 12 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 में, —

(क) पार्श्व टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व टिप्पण रखा जाए, अर्थात् :—

"खनिज रियायत का रजिस्टर"

(ख) उपधारा (i) में,—

(i) खंड (ङ) में, "और" शब्द को लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) खोज अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण ; और

(ज) खोज अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर ।"।

धारा 12क का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 12 क में,—

(i) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" के पश्चात्, जहा कहीं भी ये आया हो "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के परन्तुक में हिन्दी पाठ में संशोधन करने की वश्यकता नहीं है ।

अध्याय 4 के अध्याय शीर्षक का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम के अध्याय 4 में अध्याय शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खनिज रियायतों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम"।

धारा 13 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (कग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (थथछ) में, "धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क, 11ख के अधीन खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द अंक और अक्षरों के स्थान पर "धारा 10ख, 11 धारा, धारा 11क, धारा 11ख के अधीन खनिज रियायत" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(iii) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(फक) धारा 10 खक की उपधारा (4) के अधीन खोज अनुज्ञप्ति को देने के लिए क्षेत्र को अधिसूचित करने की रीति;

(फख) धारा 10 खक की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन अधिमानी बोलीदाता को खोज अनुज्ञप्ति देने की रीति;

(फग) धारा खक की उपधारा (9) के अधीन खोज अनुज्ञप्ति को देने के लिए नीलामी संचालन की रीति, उसके निबंधन और शर्त, चयन के लिए बोली मानदंड, धारक को देय अंश, संदाय के लिए अवधि और अन्य शर्तें ;

(फघ) धारा 10 खक की उपधारा (12) के अधीन भौगोलिक रिपोर्ट जमा करने की रीति;

(फङ) धारा 10 खक की उपधारा (14) के परन्तुक के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम और संदाय की रीति;

(iv) खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित कंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(भक) धारा 11 घ की उपधारा (1) के अधीन अधिमानी बोलीदाता के चयन की रीति और निबंधन एंव शर्तें ;

(भख) धारा 11घ की उपधारा (2) के अधीन अधिमानी बोलीदाता के खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति देने की रीति;"

धारा 17क का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 18क का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" के पश्चात् दोनों स्थानों पर जहां ये शब्द आते हैं, "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित

किए जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में, पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"खनिज रियायत शून्य होगी यदि यह अधिनियम के उल्लघन में की जाती है ।"

धारा 21 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 21 में, स्पष्टीकरण में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "खोज अनुज्ञप्ति" शब्दों को रखा जाएगा ।

धारा 24क का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 24क में, पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"खनिज रियायत के धारक का अधिकार और दायित्व ।"

पहली अनुसूची का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की पहली सूची में,—

(i) "11ग" अंक और अक्षर के पश्चात "11घ" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) भाग ख के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग ख

परमाणु खनिज

1. यूरेनियम और थोरियम वाले "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज ।
2. यूरेनियम वाले फास्फोराइट्स और अन्य फास्फेटिक अयस्क ।
3. पिचब्लेन्ड और अन्य यूरेनियम अयस्क ।
4. यूरेनीफेरस एलेनाइट, मोनाजाइट और थोरियम खनिज ।
5. तांबे और सोने, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्कों के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों से बचे हुए यूरेनियम युक्त अवशेष ।
6. समुद्र तट रेत खनिज अर्थात् टेरी या समुद्र तट रेत में पाए जाने वाले अर्थिक भारी खनिज, जिसमें इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन, गार्नेट, मोनाजाइट, जिरकोन और सिलिमेनाइट शामिल है ।" ;

(iii) भाग ग के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग घ

महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिज

1. बेरिल और अन्य बेरेलियम खनिज।
2. कैडमियम खनिज।
3. कोबाल्ट खनिज ।
4. गैलियम खनिज ।
5. ग्लाउकोनाइट

6. ग्रेफाइट।

7. इंडियम खनिज ।

8. लीथियम खनिज।

9. मोलीवेडनम खनिज ।

10. निकेल खनिज ।

11. निओबियम खनिज ।

12. फास्फेट (यूरेनियम युक्त)

13. प्लेटिनम समूह के तत्व वाले खनिज ।

14. पोटाश ।

15. यूरेनियम और थोरियम मुक्त "दुर्लभ मृदा" के खनिज।

16. रेनियम खनिज ।

17. सेलेनियम खनिज ।

18. टैंटलम युक्त खनिज ।

19. टेल्यूरियम खनिज ।

20. टिन खनिज ।

21. टाइटेनियम खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट रुटाइल और ल्यूकोक्सिन) ।

22. टंगस्टन खनिज ।

23. वैनेडियम खनिज ।

24. जर्कोनियम खनिज और जिर्कोन युक्त खनिज ।

नई सातवी अनुसूची का अंतःस्थापन

21. मूल अधिनियम में, छठवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"सातवीं अनुसूची

[धारा 3(ककक), धारा 10खक(2) और धारा 10खक(3) देखिए]

खनिज

1. एपेटाइट

2. बेरिल और अन्य बेरेलियम खनिज ।

3. कैडमियम खनिज ।

4. कोबाल्ट खनिज ।

5. तांबा खनिज ।

6. डायमंड ।

7. सोना ।

8. ग्रेफाइट ।

9. इंडियम खनिज ।

10. सीसा खनिज ।
11. लीथियम खनिज ।
12. मोलिब्डेनम खनिज ।
13. निओबियम खनिज ।
14. निकिल खनिज ।
15. पोटाश ।
16. प्लेटिनम समूह के तत्व का खनिज ।
17. "दुर्लभ मृदा" समूह का तत्व ।
18. रेनियम खनिज ।
19. राक पोटाश।
20. सेलेनियम ।
21. चांदी ।
22. टैंटलम खनिज ।
23. टेल्यूरियम खनिज ।
24. टिन युक्त खनिज ।
25. टाइटेनियम खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रुटाइल और ल्यूकोक्सिन)।
26. टंगस्टन खनिज ।
27. वैनेडियम खनिज ।
28. जस्ता खनिज ।
29. जर्कोनियम खनिज और जर्कोनिमय युक्त खनिज"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का उपबंध के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. खनिज क्षेत्र में कई सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से, खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए, खनिज रियायतें देने के लिए नीलामी की पद्धति को अनिवार्य बनाने, लोगों और खनन से प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए और खोज पर जोर देने तथा अवैध खनन के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट की स्थापना के लिए वर्ष 2015 में अधिनियम को व्यापक रूप से संशोधित किया गया था। विशिष्ट आकस्मिक मुद्दों का समाधान करने के लिए अधिनियम को वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में संशोधित किया गया तथा क्षेत्र में और सुधार करने के लिए वर्ष 2021 में अंतिम बार संशोधन किया गया था, जैसे कि कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के बीच अंतर को दूर करने, पट्टेदार के परिवर्तन के साथ भी खनन संक्रियाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मंजूरी का अंतरण करने, खनिज रियायतों के अंतरण पर निर्बन्धनों को हटाने, गैर-नीलामी वाले रियायत धारकों के ऐसे अधिकारों को समाप्त करना, जिनसे खनन पट्टे में निजी क्षेत्र को रियायतें केवल नीलामी के माध्यम से दी जाती हैं, को सुनिश्चित करने वाले परिणाम नहीं मिले हैं, आदि ।

3. तथापि, खनिज क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने के लिए कतिपय और सुधार अपेक्षित है, जो देश में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक अवस्थानों में उनके निष्कर्षण या प्रसंस्करण के संकेन्द्रण से आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान भी हो सकता है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ भू तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर करती है । वर्ष 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व बढ़ गया है।

4. अतः, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को अधिनियमित करके उक्त अधिनियम में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में से एक गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खोज अनुज्ञप्ति को पुरःस्थापित करना है। नीलामी के माध्यम से प्रदत्त खोज अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम की नई प्रस्तावित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों के लिए भूमीक्षण और पूर्वेक्षण संचालन करने के लिए अनुज्ञात करेगी । खोज अनुज्ञप्ति धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉकों को विहित समय-सीमा के भीतर खनन पट्टे के लिए नीलाम किया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व मिलेगा। खोज अभिकरण खनन पट्टा धारक द्वारा संदेय नीलामी प्रीमियम में

अंश का की हकदार होगा । गहराई में मौजूद खनिज, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम खनिज समूह हीरे, आदि को सतही या थोक खनिजों की तुलना में खोजना और खनन करना कठिन और महंगा है और इस प्रकार कुल खनिज उत्पादन में गहराई में मौजूद खनिजों की हिस्सेदारी वर्तमान में कम है। देश, अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। प्रस्तावित खोज अनुज्ञप्ति महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों के लिए खनिज खोज के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाएगा, प्रोत्साहित और प्रेरक करेगा ।

5. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट 12 परमाणु खनिजों की सूची से, 6 खनिजों का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है, अर्थात्, (i) बेरिल और अन्य बेरिलियमधारी खनिज (ii) लिथियमधारी खनिज, (iii) नाइओबियमधारी खनिज, (iv) टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क, (v) टैन्टिलियमधारी खनिज और (vi) जनकानियम जिसमें जरकान सहित खनिज और अयस्क । इन खनिजों का अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी में विभिन्न अनुप्रयोग हैं और ये भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण हैं। परमाणु खनिजों की सूची में इनके शामिल होने के कारण, इनका खनन और खोज सरकारी इकाईयों के लिए आरक्षित है। उक्त सूची से इन खनिजों को हटाने पर, इन खनिजों की खोज और खनन, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, देश में इन खनिजों की खोज और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

6. उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध कुछ कतिपय महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अनन्य रूप से खनन पट्टे और मिश्रित अनुज्ञप्ति की नीलामी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव है। चूंकि ये महत्वपूर्ण खनिज हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपरिहार्य हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में रियायत देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करने से नीलामी की गति और खनिजों के शीघ्र उत्पादन में वृद्धि होगी । यहां तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नीलामी आयोजित करने की स्थिति में भी, चयनित बोली लगाने वालों को खनिज रियायत केवल राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और नीलामी प्रीमियम और अन्य कानूनी संदाय राज्य सरकार प्रोद्भूत होंगे।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की ईप्सा करता है ।

नई दिल्ली
19 जुलाई, 2023

प्रह्लाद जोशी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक देश में संकटपूर्ण और गहराइयों में विद्यमान खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र के खनिज संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने का उपबंध करता है । विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाता है, से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 9, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में एक नई धारा 10खक अंत:स्थापित करने का उपबंध करता है । उक्त धारा की उपधारा (3), केन्द्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और कारण अभिलिखित करते हुए, सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए सशक्त करती है, जो उन खनिजों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनके लिए अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है ।

2. विधेयक का खंड 14, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके,--

(i) खोज अनुज्ञप्ति को देने के लिए क्षेत्र को अधिसूचित करने की रीति ; (ii) अधिमानी बोलीदाता को खोज अनुज्ञप्ति देने की रीति ; (iii) खोज अनुज्ञप्ति को देने के लिए नीलामी संचालन की रीति, उसके निबंधन और शर्तें, चयन के लिए बोली मानदंड, धारक को देय अंश, संदाय के लिए अवधि और अन्य शर्तें ; (iv) भौगोलिक रिपोर्ट जमा करने की रीति ; (v) संदत्त की जाने वाली रकम और संदाय की रीति ; (vi) अधिमानी बोलीदाता के चयन की रीति और निबंधन और शर्तें ; और (vii) अधिमानी बोलीदाता के खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति देने की रीति ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं, और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन)] अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * * * *

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * * * *

(कङ) "खनिज रियायत" से या भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा, संयुक्त अनुज्ञप्ति या इनमें से किन्हीं का संयोजन अभिप्रेत है और तद्नुसार "रियायत" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;

* * * * * * *

(जक) "भूमीक्षण संक्रियाएं" से ऐसी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो प्रादेशिक, आकाशी, भूभौतिकीय या भूरासायनिक सर्वेक्षणों और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से किसी खनिज के प्रारम्भिक पूर्वेक्षण के लिए की गई है किन्तु इसके अन्तर्गत गड्ढा बनाना, खाई खोदना, नरमाना (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी ग्रिड पर बोरछिद्र बरसाने से भिन्न) या उपसतह उत्खनन नहीं है ;

* * * * * * *

अध्याय 2

पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बन्धन

4. (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भूमीक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं] : पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका किसी क्षेत्र में उपक्रम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात किन्हीं ऐसी पूर्वेक्षण संक्रियाओं को लागू नहीं होगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय] किसी भी राज्य सरकार के खनन और भू-विज्ञान निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ में सरकारी कम्पनी और ऐसे किसी अस्तित्व द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित

2013 का 18

किया जाए :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई बात गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी खनन पट्टा को (चाहे उसका नाम खनन पट्टा, खनन रियासत या कोई अन्य हो) लागू नहीं होगी ।

* * * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की समाप्ति ।

4क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि खानों के विनियमन और खनिज विकास, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के निवारण के हित में अथवा लोक स्वास्थ्य या संचार के प्रति खतरे से बचने के लिए अथवा भवनों, स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथवा खनिज स्रोतों के संरक्षण के लिए अथवा खानों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे, ऐसा करना समीचीन है तो वह राज्य सरकार से अनुरोध कर सकेगी कि वह किसी क्षेत्र या उसके भाग में गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज से संबंधित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समयपूर्व समाप्ति कर दे, और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की, उस क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत, समयपूर्व समाप्ति करने वाला आदेश देगी ।

* * * * * * *

(3) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, या खनन पट्टे की समयपूर्व समाप्ति करने वाला कोई भी आदेश, अनुज्ञप्ति या पट्टे के धारक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

* * * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बंधन ।

5. (1) * * * * * *

वह अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा ।

6. (1) कोई व्यक्ति किसी खनिज या सहचारी खनिजों के विहित समूह के बारे में किसी राज्य में—

* * * * * * *

(ग) कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र अथवा खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में अर्जित नहीं करेगा जो संहृत या संलग्न न हो :

* * * * * * *

अध्याय 3

उस भूमि के बारे में जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के लिए आवेदन ।

10. (1) * * * * * *

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन तब

तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा जब तक,—

(क) उसका धारा 10ख, धारा 11 या धारा 11क या धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार चयन नहीं किया गया हो; या

* * * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के रजिस्टर ।

12. (1) राज्य सरकार—

* * * * * * *

(ङ) भूमीक्षण परमिटों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर ; और

* * * * * * *

खनिज रियायतों का अंतरण ।

12क. (1) * * * * * *

(2) किसी खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का कोई धारक, धारा 10ख या धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, अपने खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टे को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन-पट्टे को धारण करने के लिए पात्र व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा :

परन्तु खनन पट्टे के अंतरिती, से उपधारा (6) में जैसी वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, निर्दिष्ट रकम या अंतरण प्रभारों की ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु पहले संदत्त किए गए प्रभारों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

2021 का 16

(3) यदि राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के अंतरण के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अपने पूर्वानुमोदन की सूचना नहीं देती है, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य सरकार को ऐसे अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं है :

परन्तु मूल खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का धारक राज्य सरकार को अंतरण के लिए हितबद्ध उत्तरवर्ती द्वारा संदेय प्रतिफल से संसूचित करेगा जिसके अंतर्गत पहले से ही की जा रही पूर्वेक्षण संक्रियाओं की बाबत प्रतिफल और संक्रियाओं के दौरान सृजित रिपोर्टें और डाटा भी हैं ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का कोई अंतरण नहीं होगा यदि राज्य सरकार सूचना अवधि के भीतर और संसूचित किए जाने वाले लिखित कारणों से अंतरण को इस आधार पर अननुमोदित कर देती है कि अंतरिती इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र नहीं है :

परन्तु किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का ऐसा अंतरण किसी शर्त के, जिसके अधीन खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त किया गया था, के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन किए गए सभी अंतरण इस शर्त के अधीन होंगे कि

अंतरिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिनके अधीन अंतरण, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे की बाबत था ।

* * * * * * *

अध्याय 4

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) * * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * * *

(कग) धारा 10ग की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन गहराई में स्थित खनिज या ऐसे खनिज और प्रक्रिया की बाबत खोज का स्तर जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के लिए पैरामीटर भी हैं ;

* * * * * * *

(थथछ) धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख और धारा 17क के अधीन खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे को अनुदत्त करने के लिए आवेदनों और उनके नवीकरण की कार्यवाही के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सीमा ;

* * * * * * *

अध्याय 5

कतिपय मामलों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां

* * * * * * *

संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का आरक्षण ।

17क. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी खनिज का संरक्षण करने की दृष्टि से और राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् किसी ऐसे क्षेत्र को जो किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है आरक्षित कर सकेगी तथा जहां उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना हो, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएं और वह या वे खनिज जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी ।

(1क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है, किसी सरकारी कंपनी या ऐसे निगम के जो इसके स्वामित्व या नियंत्रण में है, माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित कर सकेगी और जहां उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना हो वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएं और वह खनिज या वे खनिज, जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो किसी

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है, किसी सरकारी कंपनी या ऐसे निगम के जो उसके स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, माध्यम से, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं की जाने के लिए आरक्षित कर सकेगी तथा जहां उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना है वहां, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएं और वह या वे खनिज, जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट करेगी ।

* * * * * * *

अध्याय 6

खनिजों का विकास

* * * * * * *

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति ।

18क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसी भूमि में या उसके नीचे, जिसके सम्बन्ध में कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा चाहे राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है, उपलभ्य किसी खनिज के बारे में यथासम्भव ठीक-ठीक जानकारी एकत्र की जाएं तो केन्द्रीय सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को या ऐसे अन्य प्राधिकरण को या अभिकरण को जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा विस्तृत अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो आवश्यक हो :

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के मामलों में ऐसा प्राधिकार राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जाएगा न कि अन्यथा ।

* * * * * * *

अध्याय 7

प्रकीर्ण

यदि भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे इस अधिनियम का उल्लंघन करें तो उनका शून्य होना ।

19. * * * * * *

* * * * * * *

शास्तियां ।

21. (1) * * * * * *

स्पष्टीकरण—खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से ही, इस धारा मे आने वाले "किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खनिज का निकाला जाना, उसका परिवहन करना या उसे निकलवाने या उसका परिवहन करवाने वाले" पद से किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के बिना या धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों के

उल्लंघन में किसी खनिज का निकाला जाना या निकलवाना या उसका परिवहन करना या परिवहन करवाना अभिप्रेत है।

* * * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक के अधिकार और दायित्व ।

24क. (1) * * * * * *

प्रथम अनुसूची

[धारा 4(3), 5(1), 7(2) और 8 (1), 8क (1), 10क, 10ख(1), 10ग(1), 11(1), 11ख, 11ग, 12क(1) और 17क (2क) देखिए

विनिर्दिष्ट खनिज

* * * * * * *

भाग ख

परमाणु खनिज

1. बेरिल और अन्य बेरिलियमधारी खनिज ।

2. लीथियमधारी खनिज ।

3. "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम अंतर्विष्ट हैं ।

4. नायोबियमधारी खनिज ।

5. फास्फोराइट और अन्य फास्फेटी अयस्क जिनमें यूरेनियम अंतर्विष्ट है ।

6. पिचब्लेंड और अन्य यूरेनियम अयस्क ।

7. आइटेनियम, जिसमें खनिज और अयस्क होते हैं (इल्मेनाइट, रुटाइल और लियोकोक्सीन) ।

8. टैन्टेलियमधारी खनिज ।

9. यूरेनोफैरस ऐलैनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज ।

10. तांबा और स्वर्ण के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों के बचे हुए यूरेनियमधारी अवशिष्ट, इल्मेंनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्कों ।

11. जरकानियम, जिसमें जरकान सहित खनिज और अयस्क होते हैं ।

12. किनारा रेत खनिज, जो कि आर्थिक रूप से भारी खनिज हैं टेरी या किनारे की रेत मे पाया जाता है, जिसके अन्तर्गत इल्मेंनाइट, रियूटाइल, ल्यूकोजीन, गार्नेट, मोनाजाइट, जिरकोन और सिल्लीमेनाइट है ।

* * * * * * *